न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 04/2018 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. सत्तार पुत्र स्व0 राजमल,
2. जमील पुत्र स्व0 राजमल,
3. आजाद पुत्र स्व0 राजमल,
4. शहजाद पुत्र स्व0 राजमल जाति मेव निवासीयान ग्राम जाहरखेड़ा तहसील व जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट

बनाम

1. पूरणसिंह पुत्र चढ़तासिंह राजपूत,
2. श्रीमती खेम कौर पत्नि स्व0 भगवानसिंह राजपूत,
3. महंगासिंह पुत्र भगवानसिंह,
4. सुन्दरसिंह पुत्र भगवानसिंह,
5. कर्मसिंह पुत्र भगवानसिंह,
6. शेरसिंह पुत्र भगवानसिंह,
7. कृष्णसिंह पुत्र भगवानसिंह,
8. इन्दरसिंह पुत्र भगवानसिंह,
9. सीताबाई पुत्री भगवानसिंह,
10. मंगो बाई पत्नि स्व0 चनणसिंह,
11. लक्ष्मणसिंह पुत्र चनणसिंह,
12. रामसिंह पुत्र चनणसिंह,
13. श्यामसिंह पुत्र चनणसिंह,
14. लक्ष्मी पुत्री चनणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जाहरखेड़ा तहसील व जिला अलवर राज0 ।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अलवर राज0 ।
16. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर ।
17. उप तहसीलदार बहादरपुर अलवर ।

..... रेस्पोडेन्टान

16/7

उपस्थित :–

1. श्री रामवीरसिंह नरूका अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री जगदीश चन्द सतीजा अभिभाषक रेस्पो0 ।
3. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक ।

::: निर्णय :::

दिनांक :– 16.07.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय दि0 22.6.2017 एवं 17.5.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद इस्तकरारहक इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 54 रकबा 47 ऐयर, 74 रकबा 52 ऐयर वाके ग्राम जाहरखेड़ा तहसील अलवर का वादी काबिज काश्तकार खातेदार है व हटाये जाने इन्द्राज कागजात माल में से प्रतिवादीगण व दर्ज किये जाने इन्द्राज वादी बहैसियत खातेदार काश्तकार के व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की कि प्रतिवादीगण वादी को उक्त आराजी में कार्य काश्त करने, फसल काटने, समेटने, लाने व ले जाने में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें तथा ना ही उक्त आराजी को गलत इन्द्राज के आधार पर रहन, बय आदि के द्वारा मुन्तकिल करें व कब्जा करने से बाज आवें । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.6.2017 को न्याय आपके द्वारा कैम्प कोर्ट सिरमोली में पेश होने पर वाद वादी के फौत होने के 6 माह बाद भी वादी के फौत होने की सूचना/प्रार्थना पत्र मरम्मत सवाल पेश नहीं करने पर कैम्प कोर्ट में खारिज कर दिया तथा दावा सं0 1/39 बउनवान पूरणसिंह बनाम हनीफ वगैरा में न्याय आपके द्वारा कैम्प उप तहसील परिसर बहादरपुर में दिनांक 17.05.2018 को प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट एक ही दिन में दर्ज करके उसी दिन स्वीकार कर लिया व विवादित आराजी से अप्रार्थीगण को जर्ये पुलिस इमदाद कब्जा हटवाया जाकर प्रार्थीगण को विवादित आराजी का कब्जा सम्भलवाया जावें के आदेश पारित कर दिये जिस निर्णय दि0 22.6.2017 व 17.05.2018 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब की जाकर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस की शुरूआत करते हुए कहा कि प्रकरण सं0 1/61 राजमल (मृतक) बनाम पूरणसिंह में दौराने दावा वादी (अपीलांट के पिता राजमल) फौत हो गया तथा कैम्प कोर्ट सिरमोली में तहत न्यायालय ने वाद वादी अपीलांट को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वादी के फौत होने के कारण वारिसान को रेकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 पेश नहीं किया गया जबकि यह निर्णय दिनांक 22.6.2017 से वादी अनजान था । उसे कैम्प की सूचना नहीं दी गयी । सरपंच के प्रार्थना पत्र पर वाद वादी नियम विरूद्ध खारिज किया था । बहस में आगे कहा कि दिनांक 17.05.2018 को पूरणसिंह ने हम अपीलांट के विरूद्ध न्यायालय आपके द्वारा कैम्प उप तहसील बहादरपुर में प्रकरण 183 आर.टी.एक्ट के तहत दर्ज किया है और उसी दिन धारा 183 आर.टी.एक्ट में

16/7

निर्णय पारित कर दिया । इस प्रार्थना पत्र 183 आर.टी.एक्ट में न तो हमें सुना गया और न ही हमें निर्णय की जानकारी दी गई । जब आदेश की पालना करवानी चाही तो हमें पुराने वाद की भी जानकारी हुई । अब वादी/अपीलांट ने प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम दफा 5 के साथ यह अपील इस आधार पर पेश की है कि उनवानी प्रकरण 1/96 राजमल बनाम पूरणसिंह निर्णय दिनांक 22.06.2017 विधि विरूद्ध व न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है । अपीलांट के पिता राजमल वादी के फौत होने पर उनके वारिसान को पक्षकार मुकदमा बनाने का अवसर दिया जाना चाहिए । अपीलांट/वादी को अपना वाद सिद्ध करने एवं रेकार्ड व साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए क्योंकि तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित आराजी पर अपीलांट/वादी का कब्जा काश्त हैं तथा वादी/अपीलांट ने खातेदारी प्रदान करने के लिए वाद दायर किया है ।

आगे बहस में कहा कि पूरणसिंह के प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.05.2018 को 183 आर.टी.एक्ट का दावा स्वीकार करके हम अपीलांट को सुने बिना ही उसी दिन दिनांक 17.05.2018 को निर्णय पारित कर दिया, वह भी विधि विरूद्ध है । उस प्रकरण में हम अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया तथा न ही हमें सुना गया और हम अपीलांट के विरूद्ध गलत निर्णय पारित कर दिया । हम अपीलांट विवादित आराजी पर दस्तावेजों के माध्यम से लम्बे समय से कब्जे काश्त में हैं । अतः न्याय का सिद्धान्त है कि हम अपीलांट को सुनकर निर्णय पारित करना चाहिए । पुनः कहां कि 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करके तथा देरी के जो सही कारण बताये हैं, उनके आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय के दोनों आदेश दिनांक 22.06.2017 एवं 17.05.2018 को निरस्त घोषित किया जावें ।

प्रतिउत्तर में अभिभाषक रेस्पो0 का कथन है कि कानूनी बिन्दु यह है कि आदेश दि0 22.6.2017 व 17.05.2018 को अपीलांट ने चैलेन्ज किया है । दि0 22.06.2017 का आदेश अबैटमेन्ट के संबंध में है तथा दि0 17.5.2018 का आदेश 183 आर.टी.एक्ट के संबंध में है । दोनों आदेशों को एक ही अपील से सैटएसाईड नहीं किया जा सकता है । वादी का यह दावा अबैट हो चुका है और वादी का यह कहना कि उन्हें पता नहीं है, यह गलत हैं । इस संबंध में तहत न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कराया । दावा एडवर्श पजेशन के आधार पर था जबकि अपील में खरीदशुदा बता रहे हैं । अपील में ये बिन्दू कहीं पर भी नहीं है । दावे में इन तथ्यों को नहीं उठाया है । यदि इनका एग्रीमेन्ट है तो सिविल कोर्ट में जाते जबकि तहत न्यायालय में यह बिन्दू नहीं था । रेस्पो0 का कब्जा मानकर 183 आर.टी.एक्ट में तहत न्यायालय ने आदेश किया है ।

अपीलांट ने अपील मियाद बाहर पेश की है जिसमें उचित कारण नहीं बताये हैं । दि0 13.12.2017 की आदेशिका पेश की जिसमें दावा खारिज होने पर 212 आर.टी.एक्ट की अपील पेश की है । इसलिए इससे यह सिद्ध है कि दावा के निर्णय का अपीलांट को पता था । इसलिए इस अपील में यह कैसे कह सकते हैं कि उन्हें वाद के निर्णय का पता ही नहीं है । मई 2018 में दावा खारिज होने की जानकारी बता रहे हैं । अतः इस अपील में ये दि0 22.6.2017 के निर्णय की रीलीफ नहीं ले सकते है तथा दि0 17.5.2018 के निर्णय को इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं । कानूनी बिन्दु अनुसार दोनों निर्णयों की एक अपील नहीं कर सकते हैं । क्या वारिसान की ओर से अपील पेश करने से अबैटमेन्ट सैटएसाईड हो सकता

है ? अपीलांट को अपील का प्रावधान ही नहीं है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत निर्णय पारित किये हैं जिनमें कोई त्रुटि नहीं है और अपीलांट की अपील खारिज योग्य है ।

उन्होंने अपने समर्थन में 2018 आर.आर.टी. पेज 482, 2016 आर.आर.डी. पेज 464, 2017 आर.आर.डी. पेज 770, 352, ए.आई.आर. 1996 पेज 910 एवं आर.आर.डी. 2006 पेज 26 पेश की ।

जवाबुल जवाब में अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि वारिसान की ओर से 212 आर. टी.एक्ट के निर्णय की कोई अपील नहीं है तथा न ही प्रार्थना पत्र है कि दावा खारिज हो गया । अपीलांट ने कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया । तहत न्यायालय ने दावा अबैटमेन्ट होने के आधार पर खारिज किया हो ऐसा नहीं है । इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार करने की इस्तदुआ की ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया । अपील के तथ्यों के अवलोकन से यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दि0 22.6.2017 को पारित निर्णय गुणावगुण पर नहीं है, केवल वादी की मृत्यु के कारण तथा समय पर कायम मुकामान को रेकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 पेश नहीं करने पर वादी न्यायं आपके द्वारा कैम्प कोर्ट में खारिज किया है । द्वितीय निर्णय दि0 17.05.2018 को इसी आराजी से वादी/अपीलांट को बेदखल करके 183 आर.टी.एक्ट के तहत कब्जा देने बाबत पारित आदेश है । यह आदेश भी अपीलांट को बिना सुने तथा प्रकरण को उसी दिन ही कैम्प कोर्ट में दर्ज करके निर्णय पारित किया है ।

यहां पर इस निर्णय का अवलोकन करने पर पाते हैं कि जब अपीलांट का मौके पर कब्जा काश्त है तथा चाहे वह सहमति से कब्जा हो या अवैद्य कब्जा, यदि लम्बे अर्से दराज से कब्जा है और इस संबंध में न्यायालय में वाद भी विचाराधीन रहे हैं तो न्यायालय का मत है कि उभयपक्षों को सुनकर ही गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए ।

द्वितीय बिन्दू यह भी है कि यदि पूर्व का वाद 1/61 राजमल बनाम पूरणसिंह गुणावगुण पर सुनवाई में चल रहा होता तो धारा 183 आर.टी.एक्ट के तहत वाद/प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जा सकता था और न ही एकपक्षीय आदेश ही पारित होता ।

प्रार्थी द्वारा इस संबंध में 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र व मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र तथा दोनों ही निर्णय एक ही पक्षकार एवं एक समान आराजी के होने से प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक साथ निर्णय किया जाना कानून सम्मत है । अतः प्रार्थना पत्र व अपील काबिल स्वीकार योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 22.06.2017 अपास्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को पक्षकार मुकदमा बनाकर शीघ्र निर्णय पारित करें । चूंकि निर्णय दि0 17.05.2018 भी इन्हीं पक्षकारान व वही आराजी का है तथा इसमें भी अपीलांट को नहीं सुना गया । एसी स्थिति में दोनों ही प्रकरणों को एक साथ करके निर्णय पारित किया है ।

उभयपक्षों को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के न्यायालय में दिनांक 06.08.2018 को उपस्थित हो । तहत अदालत उभयपक्षों को सुनकर गुणावगुण व शीघ्र निर्णय पारित करें । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/7/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर